



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125127

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 23130 वर्ष 2026

प्रेम शंकर शुक्ला उर्फ प्रेम शुक्ला उर्फ प्रेम नारायण शुक्ला एवं अन्यआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: तौसीफ अहमद, विजय कुमार राय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 35

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा से संबंधित वाद अपराध संख्या- 306 वर्ष 2023 से उद्भूत आपराधिक मामला संख्या- 26036 वर्ष 2024 (राज्य बनाम प्रेम शंकर शुक्ला एवं अन्य), अंतर्गत धारा 420, 406, 504, 506, 120-बी आईपीसी जो कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 1, आगरा के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाहियों के साथ-साथ दिनांक 22.12.2024 के आरोप पत्र और दिनांक 17.12.2024 के संज्ञान/समन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप पत्र के साथ-साथ संज्ञान/समन आदेश को मुख्य रूप से इस विधिक आधार पर चुनौती दी है कि दिल्ली रेस क्लब

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2024) 10 एससीसी 690 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 एक साथ, नहीं चल सकती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"38. हमारे विचार में, परिवाद के साधारण पठन से ऊपर उल्लिखित अवयवों में से कोई भी प्रकट नहीं होता है। हम पुलिस के साथ-साथ निचली अदालतों के मन में कानून के संबंध में बनी एक गंभीर गलतफहमी को दूर करने के उद्देश्य से केवल यह कह सकते हैं कि यदि परिवादी का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 आईपीसी के तहत परिभाषित आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया गया है, जो धारा 406 आईपीसी के तहत दंडनीय है, तो उसी में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 आईपीसी में परिभाषित और स्पष्टीकृत धोखाधड़ी का अपराध भी कारित किया है, जो धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय है।

41. केवल अनुबंध के उल्लंघन और आपराधिक न्यासभंग व धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त के आशय को देखा जाना चाहिए जिसे बाद के आचरण से आंका जा सकता है, परंतु इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही अर्थात् उस समय से जब अपराध कारित किया गया कहा जाता है, कपटपूर्ण या बेईमानी का आशय न दिखाया जाए। इसलिए, यह आशय ही है, जो अपराध का मुख्य सार है।

43. आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी में अंतर होता है। धोखाधड़ी के लिए, झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के समय अर्थात् शुरुआत से ही आपराधिक आशय आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में, केवल सुपुर्दगी का प्रमाण ही पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सुपुर्द की जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किसी व्यक्ति को धोखा देकर किसी संपत्ति को सौंपने के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब वह समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे धोखाधड़ी के सापेक्ष आपराधिक न्यासभंग के अपराध के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। दो अपराध एक ही तथ्यों के समूह में एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। आईपीसी (अब बीएनएस, 2023) के ये दो प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित न रह सकें।"

4. चूंकि आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पूरी तरह से कानूनी मुद्दे पर आधारित हैं, इसलिए विपक्षी संख्या- 3 को कोई नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई राहत का कड़ा विरोध किया है, परंतु वे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलम्ब ली गई स्थापित विधि की स्थिति को झुठलाने में असमर्थ रहे।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, मामले के अभिलेख और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का परिशीलन करने के बाद, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि दोनों धाराएँ अर्थात् धारा 420 और 406 आईपीसी एक साथ नहीं चल सकती हैं। तदनुसार, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा से संबंधित वाद अपराध संख्या- 306 वर्ष 2023 से उद्भूत आपराधिक मामला संख्या- 26036 वर्ष 2024 (राज्य बनाम प्रेम शंकर शुक्ला एवं अन्य), अंतर्गत धारा 420, 406, 504, 506, 120-बी आईपीसी, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 1, आगरा के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाहियों के साथ-साथ दिनांक 22.12.2024 के आरोप पत्र और दिनांक 17.12.2024 के संज्ञान/समन आदेश को निरस्त किया जाता है। मामले को संबंधित विद्वान न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित किया जा सके।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

3 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।